(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 21/2024-State Tax

Dated: 01/12/2025

No. F.3 (35)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I///53 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 128A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the respective date specified in Column (3) of the Table below, as the date upto which payment for the tax payable as per the notice, or statement, or the order referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of the said section, as the case may be, can be made by the class of registered person specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:—

Table

Sl. No.	Class of registered person	Date upto which payment for the tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of section 128A of the said Act, as the case may be, can be made for waiver of interest, or penalty, or both, under the said section.
(1)	(2)	(3)
1	Registered persons to whom a notice or statement or order, referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of section 128A of the said Act, has been issued.	31.03.2025
2	Registered persons to whom a notice has been issued under sub-section (1) of section 74, in respect of the period referred to in sub-section (1) of section 128A of the said Act, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority, or Appellate Tribunal, or a court, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, for determination of the tax payable by such person, deeming as if the notice were issued under sub-section (1) of section 73 of the said Act.	Date ending on completion of six months from the date of issuance of the order by the proper officer re determining tax under section 73 of the said Act.

This notification shall come into effect from the 1st day of November, 2024.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Mangej Singh)

Dy. Secretary (Fin)

Dated: 01/12/2025

No. F.3 (35)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I///53

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

- The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
- The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- 8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 11. Website.

12. Guard File.

(Mangej Singh)

Dy. Secretary (Fin)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग—IV में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (व्यय—I) विभाग, दिल्ली सचिवालय, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली—110002

अधिसूचना संख्या 21/2024-राज्य कर

दिनांकः 01/12/2025

फा. सं. 3 (उ) / वित्त (व्यय-1) / 2025-26 / डीएस-1 / 1/5 3 — दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (उक्त अधिनियम) की धारा 128ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर एतद द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट संबंधित तिथि को उस तिथि के रूप में अधिसूचित करते हैं, जिस तक उक्त धारा के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना, या विवरण, या आदेश के अनुसार देय कर का भुगतान, जैसा भी मामला हो, उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट पंजीकृत व्यक्ति के वर्ग द्वारा किया जा सकता है, अर्थात:—

तालिका

क्र0सं0	पंजीकृत व्यक्ति का वर्ग	वह तिथि जिस तक उक्त अधिनियम की धारा 128क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या विवरण या आदेश के अनुसार देय कर का भुगतान, जैसा भी मामला हो, उक्त धारा के अन्तर्गत ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट के लिए किया जा सकता है।
(1)	(2)	(3)
1	पंजीकृत व्यक्ति जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या विवरण या आदेश जारी किया गया है।	31.03.2025
2	पंजीकृत व्यक्ति, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अविध के संबंध में धारा 74 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है, तथा अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, धारा 75 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर के निर्धारण हेतु आदेश पारित किया जाना है या पारित किया जाना	पुर्ननिर्धारण करने वाले समुचित अधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तिथि से छः माह पूरे होने

अपेक्षित है, यह मानते हुए कि नोटिस उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी किया गया था।

यह अधिसूचना 01 नवम्बर, 2024 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> (मंगेज सिंह) उप सचिव (वित्त)

फा. सं. 3 (35) / वित्त (व्यय-I) / 2025-26 / डीएस-I / - //53

दिनांकः 01/12/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:--

- प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
- 2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
- 3. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
- 4. निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 5. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
- 6. अपर मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
- 7. सचिव (सा०प्रशा०वि०), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र भाग—IV (असाधारण) में अधिसूचना प्रकाशन के अनुरोध सहित।
- आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
- 9. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
- 10. निदेशक, राज्य संसाधन प्रभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11. वेबसाइट ।
- 12. गार्ड फ़ाइल।

(मंगेज सिंह)

उप सचिव (वित्त)